रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 1985/वैशाख 3, 1907
No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, 23rd APRIL 1985/VAISAKHA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

का. आ. 350(अ).—केन्द्रीय सरकार ने आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का० नि० 290(अ) दिनांक 22 मार्च, 1985 के अधीन पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है ;

और पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी है, जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबंधों का इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में, विनिर्दिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि यह समीचीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अनुसूची

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित अधिनियम के अधीन अपराध		न्यायिक जोन, जिसमें अपराध किए गए
	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)	
1	2	3	4
प्र सू.रि. सं. 52 दिनांक 7-3-1984 धारा (पुलिस थाना सदर नाभा)	302 और 307	धारा 25 (1), खण्ड (ब) को छोड़कर और धारा 27	पटियाला

[फा. सं. 5/1/85 विधिक एकक]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd April, 1985

S.O. 350(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated, the 22nd March, 1985.

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the case	Offences under the		Judicial Zone in which said offences were committed
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act, 1959 (54 of 1959)	
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 52 dated 7th March, 1984 (Police Station, Sadar Nabha)	Sections 302 and 307	Section 25(1) excluding clause (b) and section 27	Patiala.

[F. No. 5/1/85-Legal Cell]

का. आ. 351(अ).—केन्द्रीय सरकार ने आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 289(अ) दिनांक 22 मार्च, 1985 के अधीन पंजाब राज्य में जालन्धर के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में जोधपुर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है ;

और पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी है जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों का, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि यह समीचीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में जोधपुर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में जोधपुर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध		न्यायिक जोन जिसमें अपराध किए गए
	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)	
1	2	3	4
प्र.सू.रि.सं. 44 दिनांक 1-3-1984 (पुलिस थाना नगर तरनतारन अमृतसर)	धारा 342 और 392	धारा 25(1), खण्ड (ब)को छोड़कर	जालन्धर

[फाईल सं. 5/2/85-लीगल सैल]

S.O. 351(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Jodhpur in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Jalandhar in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 289(E) dated the 22nd March, 1985.

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Jodhpur in the State of Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Jodhpur in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the case	Offences under the		Judicial Zone in which said offences were committed
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act 1959 (54 of 1959)	
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 44 dated 1st March, 1984 (Police Station-City Taran Taran, Amritsar)	Sections 342 and 392	Section 25 (1) excluding clause (b)	Jalandhar

[F. No. 5/2/85-Legal Cell]

का. आ. 352 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 290 (अ), दिनांक 22 मार्च, 1985 के अधीन पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है ;

और पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी है, जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत् उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुरोध किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार की, उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबंधों का, इससे उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों का तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि यह समीचीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अनुसूची

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध		न्यायिक जोन जिनमें अपराध किये गए
	भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54)	
1	2	3	4
प्र.सू.रि.सं. 69, दिनांक 27-3-1984 (पुलिस थाना-धनौला, जिला संगरूर)	धारा 302 और 307	धारा 25(1), खण्ड (ख) को छोड़कर और धारा 27	पटियाला

[फा. सं० 5/3/85-विधिक एकक]

S.O. 352(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated the 22nd March, 1985.

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the case	Offences under the		Judicial Zone in which said Offences were committed
	Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)	The Arms Act 1959 (54 of 1959)	
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 69 dated 27th March, 1984 (Police Station-Dh. n. ula Distt (Sangrur)	Sections 302 and 307	Section 25(1) excluding clause (b) and section 27	Patiala

[F.No. 5/3/85-Legal Cell]

का. आ. 353 (अ):— केन्द्रीय सरकार ने आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 290(अ), दिनांक 22 मार्च, 1985 के अधीन, पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किया है ;

और पंजाब राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिये अनुरोध किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों का, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए यह राय है कि यह समीचीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिये ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध		न्यायिक जोन जिसमें अपराध किए गए
	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54)	
(1)	(2)	(3)	(4)
प्र. सू. रिपोर्ट संख्या 180 दिनांक 23 मई, 1984 (पुलिस थाना- सदर पटियाला)	धारा 302 और 307	धारा 25(1) खंड (ख) को छोड़कर और धारा 27	पटियाला

[फा. सं. 5/4/85-विधिक एकक]

S.O. 353(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated the 22nd March 1985;

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the Case	Offences under the		Judicial Zone in which the offences were committed
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act, 1959 (54 of 1959)	
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 180 dated 23rd May, 1984 (Police Station-Sadar Patiala)	Sections 302 and 307	Section 25(1) excluding clause (b) and section 27	Patiala

[F.No. 5/4/85-Legal Cell]

का. आ. 354(अ.) :—केन्द्रीय सरकार ने आंतकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 290 (अ) दिनांक 22-3-1985 के अधीन पंजाब राज्य में पटियाला के न्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है ;

और पंजाब की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट भेजी है जिसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा करने के लिये अनुरोध किया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकार की उक्त रिपोर्ट का, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों का, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का, तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, यह राय है कि यह समीचीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिये।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का विचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

मामले की विशिष्टियां	निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध		न्यायिक जोन जिसमें उक्त अपराध किए गए
	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)	आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54)	
(1)	(2)	(3)	(4)
प्र. सू. रि. सं. 47 दिनांक 24-4-1984 (पुलिस थाना– अमरगढ़, जिला संगरूर)	धारा 302/34	धारा 25(1) खंड (ब) को छोड़कर	पटियाला

[फा० सं. 5/5/85 विधिक एकक]
एल० एन० गुप्ता, अपर सचिव

S.O. 354 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) (hereinafter referred to as the said Act), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Patiala in the State of Punjab under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 290(E) dated the 22nd March 1985;

And whereas the State Government of Punjab has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government having regard to the said report of the State Government, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the case specified in column 1 of the schedule annexed hereto, and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of the Rajasthan.

SCHEDULE

Particulars of the Case	Offences under the		Judicial Zone in which said offences were committed
	Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)	The Arms Act 1959 (54 of 1959)	
(1)	(2)	(3)	(4)
FIR No. 47 dated 24th April, 1984 (Police Station-Amargarh, District, Sangrur)	Sections 302/34	Section 25(1) excluding clause (b)	Patiala

[F. No 5/5/85 Legal Cell]
L.N. GUPTA, Addl. Secy.

107 G.I./85—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985